11.2.22	पत्रावली पेश। वकील वादी उप। प्रतिवादीगण के समन बाद तामील प्राप्त हो गये हैं, प्रतिवादीगण 1 की ओर से जावेद अंसारी एड ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब दावा पेश किया, नकल वकील वादी को दी गई। प्रतिवादीगण 2 बावजूद तामील [illegible] नहीं है, अतः इनके	नि-3 उर्मिला Jd-67 सुनीता

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:53 IST
Reason: SelfAttested

बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
	विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वादिनी एवं प्रति सं. 1 ने संयुक्त प्रा.पत्र मय राजीनामा पेश किया, वादी की पहचान वकील वादी एवं प्रतिवादी की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। बाद अधिवक्ता उभयपक्षगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड, इकबाली जवाब दावा, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रिकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 141/2021 तारीख दायरा 28.10.2021

उनवान

उर्मिला पत्नी स्व0 बिरधीलाल जाति मीणा निवासीग्राम आमली तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादीनी

बनाम

1. सुनिता बाई नाता पत्नी स्व0 बिरधीलाल वर्तमान पति रामबिलास जाति मीणा निवासी ग्राम गुवावदा तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 11.02.2022

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादीनी)

श्री जावेद अंसारी (वकील प्रतिवादी सं. 1)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम घटाल तहसील सांगोद जिला कोट में खसरा नं0 349 की 2.21 हैक्टर कृषि भूमि है जो कि राजस्व रिकार्ड में वादीनी हिस्सा 1/8, प्रतिवादी कम 1 हिस्सा 1/8 व अन्य सहखातेदारान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] प्रकार ग्राम आमली घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं0 108 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं0 109 की 0.13 हैक्टर, खसरा नं0 110 की 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 118 की 0.88 हैक्टर, खसरा नं0 119 की 0.88 हैक्टर, खसरा नं0 120 की 2.75 हैक्टर, खसरा नं0 121 की 1.24 हैक्टर, खसरा नं0 122 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 123 की 2.52 हैक्टर, खसरा नं0 124 की 2.35 हैक्टर, खसरा नं0 125 की 1.97 हैक्टर, खसरा नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

1/541 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 142 की 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 146 की 0.20 हैक्टर, खसरा नं0 149 की 0.42 हैक्टर, खसरा नं0 150 की 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 157 की 0.08 हैक्टर, खसरा नं0 158 की 0.11 हैक्टर, खसरा नं0 317 की 1.29 हैक्टर, खसरा नं0 96 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं0 97 की 0.08 हैक्टर, इस प्रकार कुल किता 21 की कुल 15.34 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है जो कि राजस्व रिकार्ड में वादीनी हिस्सा 1/8, प्रतिवादी नं0 1 हिस्सा 1/8 व अन्य सहखातेदारान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमियों में दर्ज वादीनी व प्रतिवादी कम 1 के कुल हिस्से की भूमि में वादीनी मौके पर शांति पूर्व उपयोग उपभोग में है।

वादीनी व प्रतिवादी कम 1 को उक्त कृषि भूमियां अपने स्व0 पति बिरधीलाल से प्राप्त हुई है। मृतक श्री बिरधीलाल ने वादीनी से हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार फैरे लेकर विवाह किया था, जिसके उपरान्त स्व0 बिरधीलाल ने प्रतिवादी नं0 1 से नाता विवाह कर लिया। वादीनी के पति श्री बिरधीलाल का स्वर्गवास लगभग 8 वर्ष पूर्व हो चुका है। श्री बिरधीलाल के स्वर्गवास के उपरान्त प्रतिवादी नं0 1 अपने पीहर में निवास करती रही तथा उसने लगभग 2-3 वर्ष पूर्व ग्राम गुवावदा तहसील सांगोद निवासी श्री रामबिलास मीणा से विवाह कर लिया है तथा वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 अपने ससुराल ग्राम गुवावदा में अपने पति व परिवार के साथ निवास कर रही है।

वादीनी व प्रतिवादी नं0 1 मीणा जाति की हैं तथा वे पुरानी हिन्दू विधि से शासित होती है। पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार यदि कोई स्त्री विधवा होने के उपरान्त पुनर्विवाह कर लेती है तो उसके पति से प्राप्त सम्पत्ति में समस्त प्रकार से अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 के भी उक्त भूमि में समस्त अधिकार जो कि उसे स्व0 बिरधीलाल से प्राप्त हुए हैं, समाप्त हो चुके हैं। पुनर्विवाह करने के उपरान्त प्रतिवादी नं0 1 के उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के अधिकारी शेष नहीं रहे हैं। वादीनी को किन्हीं विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि प्रतिवादी नं0 1 उक्त भूमि में मात्र नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि को अन्यत्र स्थानान्तरण करने का विचार बना रही है, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी नं0 1 के पुनर्विवाह कर लेने से राजस्व रिकार्ड में दर्ज उसके 1/8 हिस्से की भी खातेदार मृतक बिरधीलाल की एक मात्र विधिक वारिस होने से वादीनी हो चुकी है तथा वादीनी उक्त भूमि में विधिक रूप से 1/4 हिस्से की खातेदार कृषक हो चुकी है तथा उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा होने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। वादीनी ने प्रतिवादी नं0 1 से [illegible] कि तुम्हें मात्र नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमियों का [illegible] स्थानान्तरण [illegible] अधिकार नहीं है क्योंकि तुमने पुनर्विवाह कर लिया है, परन्तु प्रतिवादी नं0 1 ने वादीनी की [illegible] नहीं दिया। वादीनी को अन्देशा है कि प्रतिवादी नं0 1 उक्त भूमियों को नाम दर्ज होने के आधार पर हस्तान्तरण आदि कर सकती है। इसलिए वादीनी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

ननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायताएं चाहने के ए वाद प्रस्तुत करे। यही इस वाद की विषय वस्तु है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादीनी को ग्राम घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं0 349 की 2.21 हैक्टर कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, इसी प्रकार ग्राम आमली घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं0 108 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं0 109 की 0.13 हैक्टर, खसरा नं0 110 की 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 118 की 0.88 हैक्टर, खसरा नं0 119 की 0.88 हैक्टर, खसरा नं0 120 की 2.75 हैक्टर, खसरा नं0 121 की 1.24 हैक्टर, खसरा नं0 122 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 123 की 2.52 हैक्टर, खसरा नं0 124 की 2.35 हैक्टर, खसरा नं0 125 की 1.97 हैक्टर, खसरा नं0 141/541 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 142 की 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 146 की 0.20 हैक्टर, खसरा नं0 149 की 0.42 हैक्टर, खसरा नं0 150 की 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 157 की 0.08 हैक्टर, खसरा नं0 158 की 0.11 हैक्टर, खसरा नं0 317 की 1.29 हैक्टर, खसरा नं0 96 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं0 97 की 0.08 हैक्टर, इस प्रकार कुल किता 21 की कुल 15.34 हैक्टर कृषि भूमियों की 1/4 हिस्से का खतेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में उक्त कृषि भूमियों से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1 का नाम हटाया जाकर उसके 1/8 हिस्से की भूमि को वादीनी के 1/8 हिस्से में जोडा जाकर वादीनी का नाम कुल 1/4 हिस्से में दर्ज करते हुए राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जावें।

यह कि वादीनी के पक्ष में प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावें कि वह ग्राम घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं0 349 की 2.21 हैक्टर कृषि भूमि व ग्राम आमली घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं0 108 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं0 109 की 0.13 हैक्टर, खसरा नं0 110 की 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 118 की 0.88 हैक्टर, खसरा नं0 119 की 0.88 हैक्टर, खसरा नं0 120 की 2.75 हैक्टर, खसरा नं0 121 की 1.24 हैक्टर, खसरा नं0 122 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 123 की 2.52 हैक्टर, खसरा नं0 124 की 2.35 हैक्टर, खसरा नं0 125 की 1.97 हैक्टर, खसरा नं0 141/541 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 142 की 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 146 की 0.20 हैक्टर, खसरा नं0 149 की 0.42 हैक्टर, खसरा नं0 150 की 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 157 की 0.08 हैक्टर, खसरा नं0 158 की 0.11 हैक्टर, खसरा नं0 317 की 1.29 हैक्टर, खसरा नं0 96 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं0 [illegible] की [illegible]8 हैक्टर, इस प्रकार कुल किता 21 की कुल 15.34 हैक्टर कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का लाभ उठाकर किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द आदि करने का प्रयास नहीं करें और न ही वादीनी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा पहुचाने का प्रयास करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2021.10.15 12:31:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री जावेद अंसारी द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद वादीनी एवं प्रतिवादी सं.1 ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार विवादित आराजी में वादीनी को 1/4 हिस्से का काश्तकार घोषित किए जाने में प्रतिवादी सं.1 को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया। किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। वादीनी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादी सं.1 की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाने पर अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की। प्रकरण में इकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, इकबाली जवाब दावा, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

ग्राम घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं0 349 की 2.21 हैक्टर कृषि भूमि एवं ग्राम आमली घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं0 108 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं0 109 की 0.13 हैक्टर, खसरा नं0 110 की 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 118 की 0.88 हैक्टर, खसरा नं0 119 की 0.88 हैक्टर, खसरा नं0 120 की 2.75 हैक्टर, खसरा नं0 121 की 1.24 हैक्टर, खसरा नं0 122 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 123 की 2.52 हैक्टर, खसरा नं0 124 की 2.35 हैक्टर, खसरा नं0 125 की 1.97 हैक्टर, खसरा नं0 141/541 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 142 की 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 146 की 0.20 हैक्टर, खसरा नं0 149 की 0.42 हैक्टर, खसरा नं0 150 की 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 157 की 0.08 हैक्टर, खसरा नं0 158 की 0.11 हैक्टर, खसरा नं0 317 की 1.29 हैक्टर, खसरा नं0 96 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं0 97 की 0.08 हैक्टर, इस प्रकार कुल किता 21 की कुल 15.34 हैक्टर कृषि भूमियों प्रतिवादी क्रम 1 का नाम हटाकर उसकी 1/8 हिस्से की भूमि को वादीनी के 1/8 हिस्से में जोडा जाकर वादीनी को कुल 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:53 IST
Reason: SelfAttested